

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3987 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0).

दिनांक: 30 जून, 2026

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम/ जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री गिरीश चन्द्र/ 30.6.78	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड-01 श्रीनगर	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

30/6/26
(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता
52 RA

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3888/प्र0अ0/सिं0वि/का0-02/ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

:-कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसूचित अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम /जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री राकेश चन्द्र/30.6.79	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ	सिंचाई खण्ड चमोली	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा

मुख्य अभियन्ता

संख्या: /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-2/तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)

कृते प्रमुख अभियन्ता

hL

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक: 30 जून, 2026

संख्या : 3889 / प्र0अ0 / सि0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
		03	04	05
01	श्री प्रदीप कुमार / 17.8.86	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड-02 श्रीनगर	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

MB 30/6/26
(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता
R

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3890 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री सुनील कुमार/ 02.07.78	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-1, श्रीनगर	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता
4/ RA

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 389 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

—:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसन्धीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री गोविन्द सिंह पंवार / 15. 06.1989	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	नलकूप खण्ड हरिद्वार	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

10/6/26
(नागेन्द्र बहोदुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3892 / प्र0अ0 / सि0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

—:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री अंकित पन्त/ 27.5.91	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	सिंचाई खण्ड रुदपुर	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3893 / प्र0अ0 / सि0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री सोहन सिंह रावत / 01.06.1981	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	सिंचाई खण्ड रुदपुर	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहदुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3894 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

—:कार्यालय—ज्ञाप:—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री प्रवीण सिंह राणा 12.10.1984	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड-2, श्रीनगर	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड-1, श्रीनगर	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

MBS 20/6/26
(नागेन्द्र बहोदुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

HL RA

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक: 30 जून, 2026

संख्या : 3895 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री धर्मेन्द्र कुमार/ 23.03.1982	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड-2, श्रीनगर	परियोजना खण्ड ऋषिकेश।	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-11), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

5/6/26

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3896/प्र0अ0/सिं0वि/का0-02/ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्रधान सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री मोईन अहमद /01-04-1981	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी	अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश।	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-2/तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

AB 30/6/26
(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

HK RM

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3997 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

—:कार्यालय—ज्ञाप:—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	वरिष्ठ सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	कु0 दीपशिखा वर्मा 27.10.1995	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	पीएमजीएसवाई, सिं.ख. पिथौरागढ़	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)

कृते प्रमुख अभियन्ता

30/6/26
N.B.
30/6/26
N.B.
30/6/26
N.B.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3998/प्र0अ0/सिं0वि/का0-02/ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

:-कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	वरिष्ठ सहायक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	कु0 वैशाली वर्मा 12.10.1996	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: /प्र0अ0/सिं0वि0/कार्मिक-2/तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहोदुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)

कृते प्रमुख अभियन्ता

Handwritten signature and initials.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3899/प्र0अ0/सि0वि/का0-02/ई-15(स्था0).

दिनांक: 30 जून, 2026

—:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	वरिष्ठ सहायक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री विरेन्द्र सिंह पंवार/08. 04.1988	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: /प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-2/तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

30/6/26
(नागेन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

HC RM

-कार्यालय-ज्ञाप-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसूचीवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	वरिष्ठ सहायक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री हरीश मेहत/ 10.02.84	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	

सम्बन्धित निबंधक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित निबंधक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: /प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-2/तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

30/6/26
(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता
ML PM

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 39901/प्र0अ0/सि0वि/का0-02/ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	वरिष्ठ सहायक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान 18.10.86	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सिं.ख. उत्तरकाशी	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: /प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-2/तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3902 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

--:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	वरिष्ठ सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्रीमती रेखा / 6.7.89	लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़	सिं.ख. पिथौरागढ़	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

AB 30/6/26
(नागेन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)

कृते प्रमुख अभियन्ता

SR

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3903/प्र0अ0/सि0वि/का0-02/ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	वरिष्ठ सहायक का नाम/जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्रीमती निर्मला राणा / 08.07.1986	लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी	पीएमजीएसवाई सि.ख. उत्तरकाशी	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: /प्र0अ0/सि0वि0/कार्मिक-2/तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)

कृते प्रमुख अभियन्ता

Signature

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक: 30 जून, 2026

संख्या: 3904 / प्र0अ0 / सि0वि / का0-02 / ई-18(स्था0).

- कार्यालय-ज्ञाप-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसूचित अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	वरिष्ठ सहायक का नाम/ जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा / 8.8.88	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

AB 30/6/26
(नागेन्द्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता
Mr RA

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3905 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसूचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	वरिष्ठ सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री आशीष रावत / 10.5.95	सिंचाई खण्ड, नईटिहरी	सिंचाई खण्ड हरिद्वार	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बह्मदुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता
L. R.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3906 / प्र0अ0 / सि0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

—:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कनिष्ठ सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री सोहन सिंह/ 10.01.1982	सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

MB 2026/6/26
(नागेंद्र बहदुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक: 30 जून, 2026

संख्या : 3907 / प्र0अ0 / सि0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

--:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कनिष्ठ सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री अनूप सिंह चौहान / 25.06.83	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सि0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

30/6/26
(नागेन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

SKR

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग 02)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3908 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कनिष्ठ सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री विनोद सिंह राणा / 01.01.92	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	अवस्थापना पुनर्वास खण्ड नई टिहरी मुख्यालय बहादुराबाद	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

18/6/26
(नागेंद्र बहादुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता
H/RA

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 3909 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

दिनांक: 30 जून, 2026

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कनिष्ठ सहायक का नाम / जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री विनोद कुमार जोशी / 09.06.87	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट, नैनीताल	पीएमजीएसवाई सिं.ख. हल्द्वानी।	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / स्तर- II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागन्द्र बहदुर)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग 02)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक: 30 जून, 2026

संख्या : 3910 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-02 / ई-15(स्था0),

—:कार्यालय-ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु खण्डीय अनुसंधितीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्तम्भ-04 में अंकित स्थान पर एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कनिष्ठ सहायक का नाम/ जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
01	श्री लक्ष्मण सिंह / 10.04.88	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	नलकूप खण्ड रामनगर	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या: / प्र0अ0 / सिं0वि0 / कार्मिक-2 / तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-1।), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागीय पोर्टल uttarakhandirrigation.com में अपलोड हेतु।
6. कट फाईल।

(नागेन्द्र बहादुर)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

4/02